[2022] 4 एस. सी. आर. 1061

पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य

विरूध

गीताश्री दत्ता (देय)

सिविल अपील क्रमांक 4254/2022

20 अप्रैल, 2022

(न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर एवं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ)

सिद्धांत/सिद्धांत- वैध अपेक्षा का सिद्धांत-विबंधन का सिद्धांत-कब लागू नहीं होगा-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013-2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन के आलोक में उचित मूल्य की दुकान (एफ. पी. एस.) रिक्तियों की घोषणा को रद्द करना –की शुद्धता- अभिनिर्धारित: अपीलार्थीगण को 2013 के अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी- वर्तमान मामले में, जांच करने पर, यह पाया गया कि अधिसूचना दिनांक 30.01.2014 के माध्यम से घोषित रिक्तियां 2013 के अधिनियम के अनुरूप नहीं थी और इस प्रकार, उक्त अधिसूचना को रद्द करना उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक था-इसलिए, प्रत्यर्थी की वैध अपेक्षा की याचिका का कोई आधार नहीं है- प्रत्यर्थी जो कि अपूर्ण चयन प्रक्रिया में मात्र एक आवेदक है, को अधिसूचित रिक्तियों को जारी रखने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, जब रिक्ति अधिसूचना को वापस लेते हुए, अपीलार्थीगण ने कानून लागू करने का प्रयास किया हो- यह कि किसी कानून के खिलाफ विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है- विवादित अधिसूचना दिनांक 17.08.2015 को जारी कर रिक्तियों को रदद करने में कोई तात्विक अनियमितता नहीं की गई है-प्रत्यर्थी ने मनमानेपन या अनुचितता या दुर्भावना का मामला भी स्थापित नहीं किया है –युगल खंडपीठ के फैसले को अपास्त किया गया है एवं एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल कर दिया गया है।

सिद्धांत/सिद्धांत-वैध अपेक्षा का सिद्धांत बनाम विबंधन के सिद्धांत पर चर्चा की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 वैध अपेक्षा का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में विकसित किया गया है। वैध अपेक्षा 'एक सार्वजनिक कानूनी अधिकार है, जबकि वचन विबंधन 'एक निजी कानून का अधिकार है। सार्वजनिक कानून में वैध अपेक्षा का सिद्धांत सरकारी कार्यों में निष्पक्षता एवं गैर-मनमानेपन के सिद्धांत पर आधारित है। हालाँकि, वैध अपेक्षा का सिद्धांत आम तौर पर उस समय लागू नहीं होता है, जब विधायिका ने कानून लागू किया हो। इसके अलावा, वैध अपेक्षा का सिद्धांत सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी नीति पर अधिभावी नहीं होता है, जो किसी भी विकृति, अन्याय या अनुचितता से ग्रसित नहीं हो या जो प्रत्यर्थी में निहित किसी भी मौलिक या अन्य प्रवर्तनीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती हो। जब सार्वजनिक निकाय का निर्णय कानून के अनुरूप होता है या सार्वजनिक हित में होता है, तो वैध अपेक्षा का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [कंडिका 10 और 11]

1.2 वैध अपेक्षा की दलील और अनुच्छेद 14 के बीच एक आवश्यक अंतर-खेल है। किसी निर्णय को गैर-मनमाना होने के लिए, दावेदार की उचित/वैध अपेक्षाओं पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, यह तय करने के लिए कि क्या दावेदार की अपेक्षा सदंर्भ के परिप्रेक्ष्य में उचित या वैध है, प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसका निर्धारण दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए, जहां पर अन्य महत्वपूर्ण विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक वजनदार हो सकते हैं। 2013 का अधिनियम मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था, ताकि लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले भोजन की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों को सुनिश्चित किया जा सके। [कंडिका 14 और 15]

1.3 2013 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान में वर्तमान कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर एक आदर्श बदलाव आया है। इस अधिनियहत पात्र लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अत्यधिक रियायती मूल्य पर प्रदान किया गया है। अधिनियम में राशन कार्ड धारक को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए आवश्यक सुधारों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान मामले में, जांच करने पर, यह पाया गया कि अधिसूचना दिनांक 30.01.2014 के माध्यम से घोषित की गई रिक्तियां 2013 के अधिनियम के अनुरूप नहीं थी, जिस कारण से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उक्त अधिसूचना को रद्द करना आवश्यक था। उपरोक्त दृष्टिकोण से,

प्रत्यर्थी की वैध अपेक्षा का अनुरोध बिना किसी आधार के है। हमारा यह भी विचार है कि, वर्तमान मामले में, मौजूदा नीति को जारी रखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वादा राज्य द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा, अधिसूचना की शर्तों का खंड क्रमांक 4 दिनांक 30.01.2014, रिक्तियों का आह्वान करते हुए यह प्रावधानित करता है कि राज्य किसी भी कारण का पता लगाए बिना आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। चयन प्रक्रिया शुरू करने वाली एजेंसी उचित आधार पर इसे वापस लेने की हकदार है। चयन प्रक्रिया में भाग लेने या एक चयनित उम्मीदवार होने के नाते ऐसे उम्मीदवार को अधिकारियों को उसे नियुक्ति देने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य ने विवादित अधिसूचना दिनांक 17.08.2015 को जारी करने में कोई तात्विक अनियमितता के साथ काम किया है। [कंडिका 19, 21 और 22]

1.4 किसी कानून के खिलाफ कोई विबंधन नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, हम पहले ही देख चुके हैं कि अपीलार्थीगण को 2013 के अधिनियम के निर्देश को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाना है, जैसा कि अधिनियम की धारा 12 के तहत विहित है। वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी, जो कि अपूर्ण चयन प्रक्रिया में केवल एक आवेदक हैं, को अधिसूचित रिक्तियों को जारी रखने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, अपीलार्थीगण ने रिक्त अधिसूचना को वापस लेते हुए, कानून को लागू करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जैसा की उपर चर्चा की गई है, किसी कानून के खिलाफ विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहां तक कि आक्षेपित फैसले में युगल खण्डपीठ की टिप्पणियों के अनुसार राज्य को दिनांक 30.01.2014 के रिक्ति जारी करते समय 2013 के अधिनियम के बारे में पता था, इसलिए उक्त अधिसूचना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के निर्देश के विपरीत होने से कायम नहीं रखी जा सकती है, विशेष रूप से इसकी धारा 12 के विपरीत। [कंडिका क्रमांक 25 एवं 29]

1.5 2013 का अधिनियम दिनांक 10.09.2013 को प्रवृत्त हुआ है। रिक्ति घोषित किए जाने की सूचना दिनांक 30.01.2014 की है, रिक्ति घोषित किए जाने की सूचना 2013 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख नहीं करती है। हमारे विचार में यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि दिनांक 30.01.2014 को रिक्ति सूचना जारी करते समय 2013 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया था। प्रत्यर्थी ने मनमानेपन या अनुचितता या दुर्भावना का मामला भी नहीं स्थापित किया है। युगल खण्डपीठ द्वारा पारित आक्षेपित फैसले को अपास्त किया जाता है एवं विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय बहाल किया जाता है। [कंडिका 30 और 31]

ठाकुर अमर सिंहजी बनाम राजस्थान राज्य **(1955) 2 एस. सी. आर. 303;** इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सचिव राजस्व विभाग, सरकार. आंध्रपदेश राज्य **(1999) 4 एस. सी. सी. 458: [1999] 2 एस. सी. आर. 1078- अनुसरण किया गया।**

पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य **1999 (4) एससीसी 727: [1999] 2 एससीआर 1033**; सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन एवं अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य **(2009) 1 एससीसी 180: [2008] 14 एस. सी. आर. 598;** भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी **2016 (4) एससीसी 236: [2016] 2 एससीआर 426;** भारतीय खाद्य निगम बनाम मेसर्स कामधेनू पशु आहार उद्योग **(1993) 1 एस. सी. सी. 71: [1992] 2 पूरक एससीआर 322;** स्वराज अभियान बनाम भारत संघ एवं अन्य। **(2018) 12 एस. सी. सी. 170;** सरकारी सस्ता अनाज विक्रेता संघ बनाम म.प्र; राज्य **(1981) 4 एससीसी 471;** ए. पी. डेयरी विकास निगम बनाम बी. नरसिम्हा रेडडी **[2011] 9 एससीसी 286:** [2011] 14 एससीआर 1: ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड II बनाम प्रो. एम. वी. नायडू एवं अन्य **(2001) 2 एससीसी 62: [2000] 5** पूरक एस. सी. **आर. 249- आधारित किया गया**।

सदंर्भित न्यायदृष्टांत

[1999] 2 एससीआर 1033	आधारित किया गया	कंडिका 11
[2008] 14 एससीआर 598	आधारित किया गया	कंडिका 12
[2016] 2 एससीआर 426	आधारित किया गया	कंडिका 13
[1992] 2 पूरक एससीआर 322	आधारित किया गया	कंडिका 14
(2018) 12 एससीसी 170	आधारित किया गया	कंडिका 20
(1981) 4 एस. सी. सी. 471	आधारित किया गया	कंडिका 23
[1955] 2 एससीआर 303	अनुशरण किया गया	कंडिका 25

[1999] 2 एससीआर 1078 अनुशरण किया गया कंडिका 26

[2011] 14 एससीआर 1 आधारित किया गया कंडिका 27

[2000] 5 पूरक। एससीआर 249 आधारित किया गया कंडिका 28

सिविल अपील अधिकारिता: सिविल अपील क्रमांक 4254/ 2022

एम.ए.टी. क्रमांक 1341/2018 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.03.2019 से

अपीलार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, सौमित्र जी. चौधरी, चंचलकुमार गांगुली।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता सुप्रियो चट्टोपाध्याय, अरूण बनर्जी, प्रकाश शर्मा।

न्यायमूर्ति **एस. अब्दुल नजीर** द्वारा निर्णय दिया गया

अनुमति प्रंदान की गई

2. यह अपील एम.टी. क्रमांक 1341/18 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2019 के विरूध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत कलक्त्ता उच्च न्यायालय की युगल खण्डपीठ ने अपील को स्वीकार कर विद्वान एकल खण्डपीठ के न्यायमूर्ति द्वारा रिट याचिका क्रमांक 661(डब्ल्यू)/2017 में पारित आदेश को अपास्त किया गया है। इस अपील में विचार के लिए सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (संक्षेप में '2013 अधिनियम') के कार्यान्वयन के आलोक में एम. पी. एस. (उचित मूल्य की दुकान) से संबंधित रिक्तियों को रद्द किया जाना उचित था।

3. मामले में महत्वपूर्ण् यह है कि राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30ण्01ण्2014 के द्वारा जिला अलिपुरद्वार में उचित मूल्य की दुकान के डीलरशिप के लिए रिक्तियों की घोषणा की गई थी। प्रत्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उक्त रिक्ति के संबंध में प्रथम प्राथमिकता वाले उम्मीदवार के रूप में उसकी अनुशंसा की गई थी। हालांकि, राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी की नियुक्ति का कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया था। जब प्रत्यर्थी का आवेदन लंबित था, उसी दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा रिक्तियों की घोषणा को रद्द करते हुए दिनांक 17.08.2015 को एक अधिसूचना जारी की

गई थी। यह अधिसूचना 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन के आलोक में जारी की गई थी, जो इस प्रकार हैः

> "राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को देखते हुए, राज्यपाल ने ज्ञापन क्रमांक 2480 / एफ. एस./ओ./सेक्टर। /सीएसएस/7 एस-16/2013 दिनांक 26.08.2013,3062-एफएस/सेक्टर/फूड/4 एम-04/2013 दिनांक 06.11.2013,152-एफएस/सेक्टर/फूड/4 एम-16/2013 दिनांक 20.01.2014,540-एफएस/सेक्टर/फूड/4 एम-16/2013 दिनांकित 04.03.2014 और जी-295/एफ. एस./सेक्टर/फूड/6 एफ-19/2009 दिनांकित 08.01.2015 द्वारा अधिसूचित एफ 0 पी0 एस 0 रिक्तियों को तत्काल प्रभाव से रदद् करते हुए प्रसन्न है। ऐसी रिक्तियों के खिलाफ प्राप्त आवेदन के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी"।

4. रिक्तियों की घोषणा के रद्द होने से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन कलकत्ता उच्च नयायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अन्य बातों के साथ-साथ अधिसूचना दिनांक 17.08.2015 को रद्द करने का अनुरोध किया था। पश्चिम बंगाल राज्य ने विपक्ष में हलफनामा दायर करके रिट याचिका का विरोध किया, लेकिन उक्त रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय को प्रत्यर्थी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय की युगल खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दिया गया था। युगल खण्डपीठ द्वारा इस इंट्रा कोर्ट अपील के साथ साथ तीन अन्य मामलों को सुनवाई में लिया गया और दिनांक 06.03.2019 को निर्णय पारित कर उसका अंतिम रूप से निराकरण किया गया। युगल खण्डपीठ ने उक्त अपीलों पर निर्णय लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य रिक्तियों को वापस लेने के निर्णय को सही ठहराने में विफल रहा है और उसने मनमाने और अनुचित तरीके से काम किया है, और इसलिए, अधिसूचना दिनांक 17.08.2015 को रद्द कर दिया गया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, पश्चिम बंगाल राज्य और उसके पदाधिकारियों ने इस अपील में उक्त फैसले की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिसूचना दिनांक 17.08.2015 सार्वजनिक हित में 2013 के अधिनियम के तहत जारी की गई थी, इसलिए प्रत्यर्थी की वैध अपेक्षा का अनुरोध बिना किसी आधार के है। यह तर्क किया गया है कि क़ानून के खिलाफ विबंधन का सिदधांत लागू नहीं होता है। यह भी तर्क किया गया है कि युगल खण्डपीठ यह समझने में विफल रही कि 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण, राशन कार्ड

धारकों की मैपिंग के बाद उस समय राज्य में लाभार्थियों की संख्या कम हो गई है, इसलिए रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को बनाना या उससे गुजरना व्यवहार्य नहीं रह गया था। यह आग्रह किया गया है कि सूचना दिनांक 30.01.2014 के अनुक्रम में घोषित किए गए चयन से प्रत्यर्थी को रिट कोर्ट के समक्ष आधार उठाए जाने के लिए कोई न्यायोचित अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

7. जबकि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने युगल खण्डपीठ के फैसले का समर्थन करते हुए यह तर्क किया है कि प्रत्यर्थी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और उसमें वह सफल हुआ था। प्रत्यर्थी ने उक्त अधिसूचना के संदर्भ में राज्य द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर तात्विक रूप से अपनी स्थिति अपने प्रतिकूल बदल लिया है। शासन द्वारा विवादित अधिसूचना दिनांक 17.08.2015 के माध्यम से रिक्तियों को रद्द किए जाने का औचित्य 2013 के अधिनियम के प्रभाव में आना बताया है, जबकि उक्त अधिनियम रिक्तियों की घोषणा दिनांक 30.01.2014 की अधिसूचना के पहले से लागू था। इसलिए यह माना जाएगा कि अधिकारियों ने 30.01.2014 को रिक्तियों की घोषणा करते समय 2013 के अधिनियम में निर्धारित मानदंडों को विचार में रखा था। इस स्तर पर, अधिकारीगण अपनी घोषित स्थिति से पीछे नहीं हट सकते हैं।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता द्वारा बार में किए गए दलीलों को सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

9. प्रत्यर्थी ने तर्क किया है कि उसे उचित व्यवहार किए जाने की वैध अपेक्षा है, भले ही उसे नियुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई निहित अधिकार न हो। यह राज्य का कर्तव्य और दायित्व है कि वह अच्छी तरह से कार्य करे न कि मनमाने ढंग से। रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय ईमानदारी से और उचित और उपयुक्त कारणों से होना चाहिए।

10. "वैध अपेक्षा" का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संदर्भ में विकसित किया गया है। 'वैध अपेक्षा' 'एक सार्वजनिक कानून का अधिकार है, जबकि 'वचन विबंधन' एक निजी कानून का अधिकार है। सार्वजनिक कानून में वैध अपेक्षा का सिद्धांत सरकारी कार्यों में निष्पक्षता और गैर-मनमानेपन के सिद्धांत पर आधारित है।

11. हालांकि, वैध अपेक्षा का सिद्धांत आम तौर पर उस समय लागू नहीं होता है, जब विधायिका ने क़ानून को लागू किया हो। इसके अलावा, सरकार द्वारा शुरू की गई नीति पर वैध अपेक्षा का सिद्धांत अधिभावी प्रभाव नहीं रखता है, जो किसी भी विकृति, अन्याय या अनुचितता से पीड़ित नहीं है या जो प्रत्यर्थी में निहित किसी भी मौलिक या अन्य

प्रवर्तनीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। जब सार्वजनिक निकाय का निर्णय कानून के अनुरूप हो या सार्वजनिक हित में हो, तो वैध अपेक्षा की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य** [1] के मामले यह निर्णय दिया गया है कि वैध अपेक्षा पैदा करने वाले नीतिगत निर्णय जो आम तौर पर निर्णय निर्माता पर बाध्यकारी होते हैं, को निर्णय निर्माता द्वारा सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखते हुए बदला जा सकता है। इसे निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया था:

> "37. मामलों के उपरोक्त सर्वेक्षण से पता चलता है कि मूल अर्थों में वैध अपेक्षा को हमारे कानून के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जा चुका है और

यह कि निर्णय निर्माता को आम-तौर पर उसके प्रतिनिधित्व को लागू करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जो उसके पूर्व अभ्यास अथवा पूर्व आचरण के आधार पर अपेक्षा निर्मित करता है, जब तक कि कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित रास्ते में न आ जाए है।"

"12. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन एवं अन्य वि0 दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य** [2] के मामले में विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद यह प्रतिपादित किया गया है कि:-

> "32. उपर्युक्त कुछ निर्णयों की जाँच से पता चलता है कि इन सभी निर्णयों में एक सुनहरा धागा यह है कि वैध अपेक्षा के सिद्धांत को अब हमारे कानून के हिस्से के रूप में मूल अर्थ में स्वीकार किया जा चुका है, की प्रयोज्यता तब उत्पन्न होता है जब एक प्रशासनिक निकाय प्रतिनिधित्व के कारण या पिछले अभ्यास या आचरण के द्वारा ऐसे अपेक्षा को उत्पन्न किया जाता है, जो वह पूरी करने के लिए अपनी शक्तियों के भीतर होगी जब तक कि कुछ सर्वोपरि सार्वजनिक हित रास्ते में नहीं आते हैं। हालांकि, जो व्यक्ति अपने दावे को वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर आधारित करता है, सबसे पहले, इस बात को संतुष्ट करना होता है कि उसने प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है और भरोसा के मना करने से वह प्रतिकूलता प्रभावित हुआ है। न्यायालय तभी हस्तक्षेप करता है जब प्राधिकरण ने मनमानी, अनुचित अथवा शक्ति के घोर दुरूपयोग में निर्णय लिया हो अथवा प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन और जनहित में नहीं लिया गया हो। लेकिन एक दावा केवल वैध अपेक्षा के आधार पर बिना कुछ और किए स्वत: इन सिद्धांतों को लागू करने का अधिकार नहीं देता है।
>
> 33. यह अच्छी तरह से तय है कि वैध अपेक्षा की अवधारणा की उन स्थितियों में कोई भूमिका नहीं है, जहाँ राज्य की कार्रवाई एक सार्वजनिक नीति के रूप में है अथवा जनहित में है जब तक कि की गई कार्रवाई शक्ति के दुरुपयोग की श्रेणी का न हो। अदालत को लोक प्राधिकारी के विवेक को हड़पना नहीं चाहिए जिसे कानून के तहत् निर्णय लेने हेतु सशक्त किया गया हो और कोर्ट से एक वस्तुनिष्ठ मानक लागू करने की अपेक्षा की जाती है जिससे निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को पसंद की पूरी श्रृंखला मिल जाती है जो कि विधायिका का इरादा होना माना जाता है। ऐसे मामले में भी जहाँ निर्णय पूरी तरह से निर्णायक प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया

जाता है, ऐसी किसी कानूनी सीमा के बिना और यदि निर्णय निष्पक्ष एवं अच्छी तरह से लिया जाता है तो न्यायालय प्रक्रियागत निष्पक्षता के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करेगा भले ही किसी व्यक्ति का वैध अपेक्षा से संबधित हित प्रभावित हुआ हो। इसलिए, एक वैध अपेक्षा अधिक से अधिक उन आधारों में से एक हो सकता है, जिस पर न्यायिक समीक्षा की जा सके लेकिन उक्त आधार पर राहत देना बहुत सीमित है। [जैसा कि: **भारत संघ बनाम हिन्दुस्तान विकास निगम (1993) 3 एससीसी 499] "**

13. सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी** [3] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि वैध अपेक्षा एक तर्क के रूप में, सरकार द्वारा शुरू की गई नीति जो कि विकृति, अन्याय या अनुचितता से ग्रसित नहीं है या प्रत्यर्थी के मौलिक या अन्य प्रवर्तनीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है पर अधिरोही प्रभाव नहीं रखता है।

14. वैध अपेक्षा की दलील और अनुच्छेद 14 के बीच एक आवश्यक अंतर्क्रिया है। एक गैर-मनमाना निर्णय के लिए, दावेदार की उचित/वैध अपेक्षाओं पर विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह तय करना कि दावेदार की अपेक्षा सदंर्भ के परिप्रेक्ष्य में उचित अथवा वैध है, प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसका निर्धारण दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए, जहां पर अन्य महत्वपूर्ण विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक वजनदार हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भारतीय खाद्य निगम बनाम मैसर्स कामधेनू कैटल फीड इंडस्ट्रीज** [4], के मामले में निम्नानुसार बताया गया है:-

ऐसी स्थिति में, किसी नागरिक की उचित या वैध अपेक्षा अपने आप में एक प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकती है, लेकिन इस पर विचार करने और उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है एवं इसलिए वैध अपेक्षा पर विचार करना गैर-मनमानेपन के सिद्धांत का हिस्सा है, जो कानून के शासन का एक आवश्यक सहवर्ती है। प्रत्येक वैध अपेक्षा निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक प्रासंगिक कारक है, जिस पर विचार की आवश्यकता होती है। क्या दावेदार की अपेक्षा सदंर्भ के परिप्रेक्ष्य में उचित अथवा वैध है, प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसका निर्धारण दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए, जहां पर अन्य महत्वपूर्ण विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक वजनदार हो सकते हैं।

इस तरीके से प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण का एक प्रमाणिक निर्णय गैर-मनमानेपन की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून के शासन में समाहित हो जाता है और हमारी कानूनी प्रणाली में इस तरीके से और इस हद तक संचालित होता है।

15. उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए हम वर्तमान मामले की जांच करें। 2013 का अधिनियम मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था, ताकि लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले भोजन की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम के दायरे और उद्देश्य को समझने के लिए 2013 के अधिनियम के 'परिचय'का उल्लेख करना फायदेमंद हैः

"परिचय

संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन एक लक्ष्य है। यह प्रत्येक व्यक्ति के पर्याप्त भोजन के अधिकार को मान्यता देने के लिए सभी राज्यों पर जिम्मेदारी डालता है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर किफायती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में भोजन तक पहुंच।

पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना हमेशा से सरकार की योजना और नीति का केन्द्र का बिंदु रहा है। हालांकि, यह कानून खाद्य सुरक्षा की समस्या को वर्तमान कल्याणकारी द्रष्टिकोण से अधिकारवादी द्रष्टिकोण में बदलाव का आदर्श प्रतीक है। यह कानून पात्र लाभार्थियों को अत्यधिक रियायती कीमतों पर उचित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। इसके अलावा यह महिलाओं, बच्चों एवं अन्य विशेष समूहों जैसे निराश्रित, बेघर, आपदा और आपातकालीन प्रभावित व्यक्तियों और भुखमरी में रहने वाले व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर भोजन प्राप्त करने का कानूनी अधिकार भी प्रदान करता है।''

16. 2013 के अधिनियम के 'उद्देश्यों और कारणों का विवरण', अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार कहता हैः

" (i) प्रस्तावित कानून में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार करना।''

17. 2013 के अधिनियम की धारा 3 में रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है और धारा 4 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार धारा 5 बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। धारा 6 बाल कुपोषण की रोकथाम और प्रबंधन का प्रावधान करती है।

18. धारा 12 राज्य पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों को उत्तरोत्तर शुरू करने का कर्तव्य रखती है और यह अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए। इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

" 12. (1) केंद्रीय और राज्य सरकारें, इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधारों का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।''

इसके अलावा धारा 12 (2) (ई) के तहत, अधिनियम प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए राज्य की शक्ति की परिकल्पना करता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, यह भी शामिल होगा कि राज्य किसी भी सार्वजनिक निकाय/पंचायत/एस.एच.जी./सहकारी समितियां आदि को प्राथमिकता दे सकता है। इसे यहां पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है :-

"12 (2) सुधारों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आएंगे-

(ड.) उचित दर दुकानों की अनुज्ञप्तियां दिए जाने में, लोक संस्थानों या लोक निकायों, जैसे पंचायतों, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं को और उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा किए जाने को अधिमानता:"

धारा 2 की उप-धारा (23) "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली "अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः-

"लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है।

19. 2013 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान में वर्तमान कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर एक

आदर्श बदलाव आया है। इस अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अत्यधिक रियायती मूल्य पर प्रदान किया गया है। अधिनियम में राशन कार्ड धारक को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए आवश्यक सुधारों की परिकल्पना की गई है।

20. इस न्यायालय द्वारा **स्वराज अभियान बनाम भारत संघ एवं अन्य** [5] के मामले में यह माना गया है कि 2013 का अधिनियम एक सामाजिक कल्याण का कानून है और इसके प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के हैं। इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:-

> " 42. एन. एफ. एस. अधिनियम के ऊपर उल्लिखित प्रावधान आज्ञापक पक्रति के हैं, लेकिन अभी भी लगभग चार साल बाद कुछ राज्यों द्वारा उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।
>
> XXXXX
>
> 44. ये सवाल हमें तब से परेशान कर रहे हैं जब से यह मामला स्वराज अभियान (II) [स्वराज अभियान (2) v. भारत संघ, (2016) 7 एस. सी. सी. 498: (2016) 7 एससीसी 534: AIR 2016 SC 2953] में हमारे आदेश दिनांक 13.05.2016 के बाद दिनांक 24-10-2016 को सूचीबद्ध किया गया था। हमने संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षा की थी कि वे एन. एफ. एस. अधिनियम के प्रावधानों को पूरी गंभीरता के साथ लागू करेंगे, क्योंकि यह संसद द्वारा अधिनियमित एक सामाजिक कल्याण कानून है।''

21. वर्तमान मामले में, जांच करने पर, यह पाया गया कि अधिसूचना दिनांक 30.01.2014 के माध्यम से घोषित की गई रिक्तियां 2013 के अधिनियम के अनुरूप नहीं थी, जिस कारण से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उक्त अधिसूचना को रद्द करना आवश्यक था। उपरोक्त दृष्टिकोण से, प्रत्यर्थी की वैध अपेक्षा का अनुरोध बिना किसी आधार के है।

22. हमारा यह भी विचार है कि, वर्तमान मामले में, मौजूदा नीति को जारी रखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वादा राज्य द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा, अधिसूचना की शर्तों का खंड क्रमांक 4 दिनांक 30.01.2014, रिक्तियों का आह्वान करते हुए यह प्रावधानित करता है कि राज्य किसी भी कारण का पता लगाए बिना आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। चयन प्रक्रिया शुरू करने वाली एजेंसी उचित आधार पर इसे वापस लेने की हकदार है। चयन प्रक्रिया में भाग लेने या एक चयनित उम्मीदवार होने के

नाते ऐसे उम्मीदवार को अधिकारियों को उसे नियुक्ति देने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य ने विवादित अधिसूचना दिनांक 17.08.2015 को जारी करने में कोई तात्विक अनियमितता के साथ काम किया है।

23. इस न्यायालय ने **सरकारी सस्ता अनाज विक्रेता संघ बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश** [6] में यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के एजेंट के रूप में उचित मूल्य की दुकान चलाने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और उसे केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> "11..... ... . कोई भी व्यक्ति सरकार के एजेंट के रूप में उचित मूल्य की दुकान चलाने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। वह जो भी दावा कर सकता है वह उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए नियुक्ति पर विचार किए जाने का अधिकार है। यदि सरकार ने पिछले दो दशकों में प्राप्त निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के आलोक में, उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लिए अपने एजेंटों के रूप में नियुक्ति के लिए सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का नीतिगत निर्णय लिया है, तो हमें नहीं लगता कि हम संभवत: यह कैसे मान सकते हैं कि वहां कोई भेदभाव था।"

24. अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार को 2013 के अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा लक्षित वितरण प्रणाली में सुधार की जिम्मेदारी भी है। प्रत्यर्थी को अपूर्ण चयन प्रक्रिया में अधिसूचित रिक्तियों को जारी रखने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इसलिए, रिक्ति अधिसूचना को वापस लेते हुए, राज्य ने कानून लागू करने का प्रयास किया और यह कि किसी कानून के खिलाफ विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

25. यह एक स्पष्ट कानून है कि किसी विधि के खिलाफ विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत को निर्णयों की श्रृंखला में स्थापित किया जा चुका है, जिसकी शुरुआत 1955 से ही हुई है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने **ठाकुर अमर सिंहजी विरूध स्टेट ऑफ राजस्थान** [7] में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> " ... . इन तथ्यों के आधार पर हम विबंधन की याचिका के लिए कोई आधार देखने में असमर्थ हैं। पत्र दिनांक 28.11.1953 याचिकाकर्ता को संबोधित नहीं था। न ही वह जागीर को फिर से शुरू नहीं करने का कोई आश्वासन या वचन देता है। और

भले ही ऐसा आश्वासन दिया गया हो, तो भी यह निश्चित रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि इसकी बहाली की शक्तियां कानून द्वारा विनियमित होती है और इसका प्रयोग इसके प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। अधिनियम सरकार को छूट देने का कोई अधिकार नहीं देता है। और फिर से शुरू नहीं करने का वचन अमान्य होगा, और किसी कानून के खिलाफ कोई विबंधन नहीं हो सकता है।"

26. इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वि0 सचिव राजस्व विभाग गर्वमेंट ऑफ आंध्रप्रदेश** [8] में भी इस सिद्धांत को बरकरार रखा है और माना है:-

" 21. इस विवाद के दो संक्षिप्त उत्तर हैं। सबसे पहले, किसी भी क़ानून के खिलाफ कोई विबंधन नहीं हो सकता है....."

27. इस न्यायालय ने **ए. पी. डेयरी विकास निगम फेडरेशन वि0 बी नरसिम्हा रेड्डी** [9] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब सरकार के कार्य कानून के अनुरूप नहीं होते हैं, तो विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा और इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 40 ..... राज्य को, एक सतत निकाय होने के नाते, किसी दिए गए मामले में अपना रुख बदलने से रोका जा सकता है, लेकिन जहां जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं थी, तो विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा।''

28. यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह भी माना है कि जब किसी कानून के आदेश का पालन किया जाता है तो वचन विबंधन की याचिका अस्वीकार कर दी जाएगी। इस न्यायालय द्वारा **ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड II बनाम प्रो. एम. वी. नायडू एवं अन्य** [10] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

" 69. विद्वान अपीलीय प्राधिकरण ने यह सोचने में गलती की है कि पंचायत द्वारा योजना की मंजूरी, या कलेक्टर द्वारा भूमि उपयोग के रूपांतरण या केंद्र सरकार द्वारा आशय पत्र पद्रान किए जाने के कारण, इस मामले के तथ्यों पर "वचन विबंधन" के सिद्धांत को लागू करने का मामला बनता है। कानून के खिलाफ विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है।''

29. वर्तमान मामले में, हम पहले ही देख चुके हैं कि अपीलार्थीगण को 2013 अधिनियम के निर्देश को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाना है, जैसा कि अधिनियम की धारा 12 के तहत विहित है। वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी, जो कि अपूर्ण चयन प्रक्रिया में केवल एक आवेदक हैं, को अधिसूचित रिक्तियों को जारी रखने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, अपीलार्थीगण ने रिक्त अधिसूचना को वापस लेते हुए, कानून को लागू करने का प्रयास किया हो। इसके अलावा जैसा की ऊपर चर्चा की गई है, किसी कानून के खिलाफ विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहां तक कि आक्षेपित फैसले में युगल खण्डपीठ की टिप्पणियों के अनुसार राज्य को दिनांक 30.01.2014 के रिक्ति जारी करते समय 2013 के अधिनियम के बारे में पता था, इसलिए उक्त अधिसूचना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के निर्देश के विपरीत होने से कायम नहीं रखी जा सकती है, विशेष रूप से इसकी धारा 12 के विपरीत। जैसा कि **ए. पी. डेयरी विकास निगम फेडरेशन (पूर्वोक्त)** में अभिनिर्धारित किया गया है।

30. प्रत्यर्थी के इस तर्क में भी कोई दम नहीं है कि अधिकारियों ने दिनांक 30.01.2014 को रिक्तियों की घोषणा करते समय 2013 के अधिनियम में निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखा था। यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि जब 30.01.2014 को रिक्तियां घोषित की गई, तो अधिकारियों ने 2013 के अधिनियम के प्रावधान को ध्यान में रखा था। 2013 का अधिनियम दिनांक 10.09.2013 को प्रवृत्त हुआ है। रिक्ति घोषित किए जाने की सूचना दिनांक 30.01.2014 की है, रिक्ति घोषित किए जाने की सूचना 2013 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख नहीं करती है। हमारे विचार में यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि दिनांक 30.01.2014 को रिक्ति सूचना जारी करते समय 2013 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया था। प्रत्यर्थी ने मनमानेपन या अनुचितता या दुर्भावना का मामला भी नहीं स्थापित किया है। हमारे विचार में, युगल खंडपीठ को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि अधिसूचना दिनांक 17.08.2015 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 2013 के अधिनियम के अनुरूप रखने के लिए जारी की गई थी, विशेष रूप से धारा 12 जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए जाने का प्रावधान करती है।

31. परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। युगल खण्डपीठ द्वारा पारित आक्षेपित फैसले को अपास्त किया जाता है एवं विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय बहाल किया जाता है। पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना-अपना व्यय वहन करेंगें।

32. सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

अपील स्वीकार

अनुवादक

राज कुमार त्रिपाठी

सिविल जज, सागर एम.पी.

1- 1999 (4) एस.सी.सी. 727
2- (2009) 1 एस.सी.सी. 180
3- 2016 (4) एस.सी.सी. 236
4- (1993) 1 एस.सी.सी. 71
5- (2018) 12 एस.सी.सी. 170
6- (1981) 4 एस.सी.सी. 471
7- (1955) 2 एस.सी.आर. 303
8- (1999) 4 एस.सी.सी. 458
9- (2011) 9 एस.सी.सी. 286
10- (2001) 2 एस.सी.सी. 62